



::आदेशः::

भोपाल, दिनांक 15.09.2020

क्रमांक शाखा-01/स्था./लोकायुक्त/2020/138/2 राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ-1-12/20/18-1 दिनांक 23.05.2020. से श्री वीरेन्द्र मेहता मूलपद राजस्व उप निरीक्षक को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद पोलायकलां जिला शाजापुर में पदस्थ किया गया था। दिनांक 15.09.2020 को श्री कुलदीप किंशुक प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बड़नगर जिला उज्जैन के निवास पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा छापा मारने की कार्यवाही की गई। प्राप्त प्रारंभिक सूचना के अनुसार छापे के दौरान श्री किंशुक के निवास श्री वीरेन्द्र मेहता भी पाये गये।

श्री मेहता की पदस्थापना नगर परिषद पोलायकलां जिला शाजापुर में है। बड़नगर में श्री किंशुक के यहां उनका पाया जाना संदेह के दायरे में आता है और म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है।

अतः श्री वीरेन्द्र मेहता प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद पोलायकलां जिला शाजापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये संभागीय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन में संलग्न किया जाता है। निलंबन अविधि के दौरान श्री वीरेन्द्र मेहता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी जो नगर परिषद पोलायकलां जिला शाजापुर द्वारा देय होगा।

(निकुंज श्रीवास्तव)

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठां. क्रं./शाखा-01/स्था./लोकायुक्त/2020/138/3 भोपाल, दिनांक 15.09.2020
प्रतिलिपि :- (निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही)

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग म.प्र. भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग म.प्र. भोपाल।
3. कलेक्टर जिला शाजापुर म.प्र.।
4. पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन म.प्र.।
5. प्रशासक नगर परिषद पोलायकलां जिला शाजापुर म.प्र.।
6. वीरेन्द्र मेहता, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद पोलायकलां जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल